

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 10-4/99/1-15/कक

भोपाल, दिनांक 28-4-2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मान्यता-प्राप्त कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को अधिवेशन के लिये अवकाश.

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मान्यता-प्राप्त समस्त 16 कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को प्रांतीय एवं अन्य अधिवेशनों में भाग लेने हेतु 2 वर्ष में एक बार एक दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाये. यह सुविधा संघ के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों में से 4 एवं संघ की जिला शाखा के अध्यक्ष अथवा किसी एक अन्य प्रतिनिधि को देय होगी.

अधिवेशन में भाग लेने वाले कर्मचारियों को कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा.

हस्ता./-
(ओ. पी. चौधरी)
उप संचालक,
सामान्य प्रशासन विभाग-15